कार्यालय मुख्य अभियन्ता, गोरखपुर क्षेत्र,
लोक निर्माण विभाग गोरखपुर

पत्रांक 8518 /132 गो.क्षे.-पेन्ट/2015–16 **दिनांकः–** 12/6/15

सेवा में,

अधीक्षण अभियन्ता
बस्ती वृत्त, लो.नि.वि.
बस्ती।

विषय– जनपद सिद्धार्थनगर में निर्माण खण्ड–1, के अन्तर्गत डुमरियागंज ढेबरुआ मार्ग के भेलौहा ग्राम सभा के गाटा सं0–401क, 402, 401ख में इण्डियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड के रिटेल आउटलेट की स्थापना हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी करने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :– आपका पत्रांक–1743/17 सी0–बस्ती वृत्त/15 दिनांक 14.05.2015

:-:-:-:-

कृपया उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा कु0 शिल्पी जायसवाल, पुत्री श्री अशोक कुमार जायसवाल, ग्राम व पोस्ट–इटवा, जिला–सिद्धार्थनगर के अन्तर्गत डुमरियागंज ढेबरुआ मार्ग के भेलौहा ग्राम सभा के गाटा सं0–401क, 402, 401ख में इण्डियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड के आउटलेट की स्थापना हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत करने की अपेक्षा की गयी है।

अतः निम्न शर्तो के साथ रिटेल आउट लेट स्थापित करने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है।

1. प्रस्तावित रिटेल आउटलेट का निर्माण आई.आर.सी. कोड संख्या–12, 2009 एवं भूतल परिवहन मंत्रालय के परिपत्र सं0–रा0मा0–33023/19/99–डी.ओ.तृतीय दिनांक 31.8.2000 में दिए गए निर्देशों एवं चेकलिस्ट की शर्तो के अनुसार किया जायेगा।
2. प्रस्तावित स्थल के दोनों ओर 300 मीटर तक कोई रोड क्रासिंग नहीं होनी चाहिये।
3. आई.आर.सी.–12, 2009 के अनुसार मार्ग पर 300 मी0 की दूरी तक कोई अन्य रिटेल आउटलेट स्थापित नही होना चाहिये।
4. प्रस्तावित रिटेल आउटलेट का निर्माण मार्ग की स्थायी भूमि के बाहर होगा तथा निर्माण सामग्री इस सीमा में न रखी जाय। प्रस्तावित निर्माण में बफर स्ट्रिप मार्ग की मध्य रेखा से 22.86 मीटर छोड़कर होनी चाहिए। लो0नि0वि0 की स्थाई भूमि पर कोई भी निर्माण एवं साईन बोर्ड लगाना अनुमन्य नहीं होगा।
5. प्रस्तावित रिटेल आउटलेट के प्रवेश एवं निकास पर सड़क पर यातायात की विजिविलिटी होनी चाहिये, इसमें कोई अवरोध न हों। अन्य कोई आवश्यक बिन्दु जो स्थलीय परिस्थितियों तथा यातायात की सुरक्षा के लिये आवश्यक हो, प्रस्तावित रिटेल आउटलेट के वास्तविक निर्माण के पूर्व सुनिश्चित कर लिया जाय।
6. यदि निर्माण स्थल की भूमि पर न्यायालय का कोई विवाद विचाराधीन हो तो ऐसी दशा में अनापत्ति प्रमाण–पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
7. प्रस्तावित रिटेल आउटलेट का लाइसेन्स डीड संबंधित अधिशासी अभियन्ता लो0नि0वि0 एवं पार्टी द्वारा एक्जीक्यूट करा लिया जाय।
8. भूमि के स्वामित्व का सत्यापन राजस्व विभाग से करा लिया जाय। इस संबंध में लोक निर्माण विभाग का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।
9. प्रस्तावित रिटेल आउटलेट पर बफर स्ट्रिप पर ऐसा कोई साईन बोर्ड या होर्डिंग न लगाया जाय, जिसमें भूमि तल से 3.00 मीटर का क्लीयरेन्स न हों।
10. प्रस्तावित रिटेल आउटलेट के पहुॅच मार्गो पर निर्मित की जाने वाली पुलियों के बीच रोड साईड खन्ती में न्यूनतम 1.00 मीटर स्पान की आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण कराया जाय, ताकि पानी सुविधापूर्वक रोड साईड ड्रेन से होकर प्राकृतिक नाली/नाले में बह सके।

11. .प्रस्तावित रिटेल आउटलेट के पहुँच मार्ग की ढ़ाल रिटेल आउटलेट की ओर न्यूनतम 2 प्रतिशत होगा तथा पुलिया आई.आर.सी. एस. पी.–13, 1983 के अनुसार निर्मित की जायेगी। रिटेल आउटलेट के पहुँच मार्ग का रख–रखाव कम्पनी द्वारा स्वयं के व्यय पर वहन किया जाएगा, परन्तु इसका स्वामित्व सरकार के पास ही रहेगा।

12. .प्रस्तावित रिटेल आउटलेट के पेप्ड एरिया का लेविल सड़क के पेन्टेड सतह के मध्य बिन्दु के लेबिल से कम से कम 0.30 मी0 नीचे रखा जायेगा।

13. .टर्निंग कर्व रेडियस 13.00 मीटर रखा जाय एवं रेडियस ऑफ नान टर्निंग कर्व 1.50 मीटर से 3.00 मीटर के बीच रखा जाय।

14. .प्रस्तावित निर्माण कार्य एक वर्ष के अन्दर न होने पर एक वर्ष के बाद पुनः अनुमति लेनी पड़ेगी।

15. .जब भी मार्ग के चौड़ीकरण हेतु भूमि वांछित होगी, तो चौड़ीकरण हेतु भूमि उपलब्ध करानी होगी और पम्प मालिक को अपने व्यय पर निर्माण हटाना होगा।

16. .मार्ग पर किसी प्रकार का स्पीड ब्रेकर न बनाया जाय, जिससे आवागमन में बाधा उत्पन्न हो।

17. .पेट्रोलियम उत्पाद के अत्यधिक ज्वलनशील होने के कारण पर्यावरण/प्रदूषण विभाग के अधिनियमों एवं अर्हताओं की जानकारी कर जान–माल की व्यापक सुरक्षा के मद्देनजर कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। इसका उत्तरदायित्व पम्प मालिक का होगा।

उपरोक्त शर्तों का अनुपालन न किए जाने पर यह अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा और इसके लिए विभाग के विरूद्ध किसी प्रकार का क्लेम मान्य नहीं होगा।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार

(आर0बी0के0राकेश)
मुख्य अभियन्ता
गोरखपुर क्षेत्र, लो0नि0वि0,
गोरखपुर

प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–1,लो.नि.वि. सिद्धार्थनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

मुख्य अभियन्ता
गोरखपुर क्षेत्र, लो0नि0वि0,
गोरखपुर